राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
उच्च शिक्षा निदेशालय,
खंड–बी, दूसरा तल, 5 शामनाथ मार्ग, दिल्ली–54

तारांकित प्रश्न संख्या :– 97
दिनाँक :– 23/03/2018

प्रश्नकर्ता का नाम :– श्री अजय दत्त
क्या उपमुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क. सं.	पूछा गया प्रश्न	उत्तर
क.	क्या यह सत्य है कि पीजीएमएस के अतंर्गत उच्च शिक्षा विभाग को 1879 शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमें से 54 शिकायतें अभी भी लंबित है;	पीजीएमएस के पोर्टल के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग से संबंध्ति 12.03.2018 तक 515 शिकायतें दर्ज पाई गई है, जिनमें से 10 शिकायतें अभी लंबित है ।
ख.	निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी 29 शिकायतों का निवारण न होने के क्या कारण है ;	निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद कोई शिकायत लंबित नही है ।
ग.	क्या यह सत्य है कि 698 शिकायतों के निवारण हेतु विभागीय उत्तर/कार्रवाई संतोषजनक नही थी,	पीजीएमएस के पोर्टल के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित 179 शिकायतों के विभागीय उत्तर/कार्रवाई संतोषजनक नही थी ।
घ.	यदि हाँ, तो इन शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ;	जिन 179 शिकायतों का निवारण असंतोषजनक है वे शिकायतें केन्द्रीय / मानित विश्वविद्यालयों/भारत सरकार के विभागों , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व निजी संस्थानो से संबंधित है । जो उच्च शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार के अधीन नही है । अतः इन शिकायतों को संबंधित विभागों / विश्वविद्यालयों/ अनुदान आयोग इत्यादि को निवारण हेतु भेजा जा चुका है । जिन शिकायतों का निवारण इस विभाग द्वारा दूसरे विभागों के सहयोग से करना होता है, उनका निस्तारण कर दिया है । इन 179 असंतोषजनक शिकायतों में से 104 शिकायतें केन्द्रीय / मानित विश्वविद्यालयों, भारत सरकार के विभागों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व निजी संस्थानो इत्यादि से संबंधित थी अतः उन शिकायतों के निवारण हेतू संबंधित केन्द्रीय / मानित विश्वविद्यालयों/भारत सरकार के विभागों व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इत्यादि को भेज दिया गया था । 17 शिकायतों का निस्तारण दूसरे

Scanned by CamScanner